

20 वॉ वार्षिक प्रगति-प्रतिवेदन

2019-20



सृष्टि सेवा संस्थान

सिनेमा रोड, हनुमानगढ़ी-महराजगंज, पो 0 व जनपद-महराजगंज (उ०प्र०)-273303

ई-मेल : srishtiseva@gmail.com

वेब साइट : www.srishti-india.org



मुख्य कार्यकारी की कलम से.....

समाज का विकास विभिन्न तरीकों से होता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सरकार, स्वैच्छिक संस्थान, वित्तीय संस्थान, मीडिया, एकेडमिया आदि सभी संस्थानों/व्यक्तियों का योगदान होता है। जब सभी संस्थाएं समाज में व्याप्त समस्याओं का एक साथ सम्मिलित रूप से उन्मूलन के प्रति सजग हो जाते हैं तो समाज के लोग भी सकारात्मक दिशा में पहल करना प्रारम्भ कर देते हैं।



सकारात्मक रचनात्मक प्रयास से जहाँ एक तरफ लोगों में स्वयं के विकास के प्रति जागरूकता बढ़ती है, वहीं पर समाज में विकास की दिशा भी तय होती है। सृष्टि सेवा संस्थान द्वारा सामाजिक विकास के क्रम में जो प्रयास किया गया इसके अन्तर्गत समाज के सबसे अधिक वंचित समुदाय महिलाओं को आधार में रखा गया। महिलाओं को संगठित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया इस क्रम में सबसे पहले हमने इनका मानवाधिकार आधारित विकास, जेण्डर, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं की पात्रता व प्राप्त करने का तरीका आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही साथ इन महिलाओं के साथ लगातार क्षमतावर्धन व हैण्डहोल्डिंग करने का कार्य प्रारम्भ किया गया, परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ महिलाओं के अन्दर अपने वास्तविक परिस्थिति को समझ पाने का एहसास हुआ वहीं पर वे अपने हक व अधिकार को पाने हेतु सरकारी योजनाओं तक पहुँच बना पाने में सफलता हासिल कर सकीं।

संस्थान द्वारा सदा से ही महिलाओं के केन्द्र में रखकर उनके स्थाई विकास की बात को अपना विजन मानते हुए कार्य किया गया है, परिणामस्वरूप संस्थान द्वारा हस्तक्षेपित प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महिलाओं द्वारा नारी-संघ नामक संगठन का गठन किया गया। नारी-संघ का मुख्य कार्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित करना रहा है। इस कार्य के लिए पंचायती राज के अन्तर्गत ग्राम-सभा की खुली बैठकों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कराते हुए वास्तविक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाना रहा है।

महिला चूँकि किसानों में समग्रतः समय देने वाली होती है और महिला को किसान की मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है। जबकि यदि देखा जाय तो किसानों के कार्य में लगभग 70 प्रतिशत योगदान महिलाओं का ही होता है। अतः संस्थान द्वारा महिला किसानों के साथ श्री विधि से धान व गेहूँ की खेती, टपक सिंचाई, रीज्ड बेड, मल्लिचंग आदि का प्रयोग करके पानी की बचत करना। मचान विधि से खेती करके कम जोत के महिला किसानों की आय दोगुनी करना। वन ड्राप मोर क्राप की अवधारण को फलीभूत करते हुए एक साथ कम से कम दो फसलें लेना आदि तरीकों के माध्यम से खेती में विकास किया गया।

किशोरियों में जीवन कौशल, कैरियर मार्गदर्शन, शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर संस्थान द्वारा किशोरी संघ का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से किशोरी सशक्तिकरण का कार्य जारी है।

बच्चों के अधिकार व संरक्षण को लेकर संस्थान द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, जिस क्रम में संस्थान द्वारा 1098 नं० के विषय में जागरूकता करते हुए मुसीबत में फँसे बच्चों को मदद करने का कार्य कर रही है।

समाज में फँसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनकी बात करने में भी हम हिचकते हैं। जैसे – महिला यौन कर्मी, पुरुष यौन कर्मी, किन्नर आदि। इनके साथ भी संस्थान ने इस उद्देश्य से कार्य करना प्रारम्भ किया कि समाज में इनके द्वारा एचआईवी का खतरा कम हो सके।

हम संस्थान को सहयोग करने वाले विभिन्न दाता संस्थानों, हितभागियों, मीडिया तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाज के अन्तिम पायदान पर जीवन यापन करने वाले वंचित समुदाय को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वर्ष 2019-20 का प्रगति प्रतिवेदन आप सभी लोगों के विचार को साझा करने की प्रत्याशा में प्रस्तुत करते हैं।

भवदीय

(सुनील कुमार पाण्डेय)

सचिव / मुख्य कार्यकारी



सृष्टि सेवा संस्थान : एक परिचय

संस्था की उत्पत्ति :- सृष्टि सेवा संस्थान, समान सोच, समान विचार धारा एवं समान उम्र के सनमनाओं द्वारा गठित नागर सामाज संगठन है। संगठन उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज मुख्यालय पर स्थित है, जो नेपाल राष्ट्र का सीमापवर्ती जनपद है। संगठन एक छोटे समूह के रूप में लघु-सीमान्त वर्ग के हक और अधिकार को लेकर गठित हुआ, जिसका उद्देश्य समाज में असमानता व गैर बराबरी को दूर करते हुए जीने का अधिकार दिलाना रहा है। संगठन का वैधानिक पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, अधिनियम संख्या-21 के अन्तर्गत हुआ है।

संगठन आयकर अधिनियम 1961 के तहत 12 ए की वैधानिकता पूर्ण कर चुका है, तथा विदेशी विनिमय अनुदान अधिनियम 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

विजन :- लोक-केन्द्रित, स्थाई-विकास

मिशन :- जन सहभागिता के आधार पर ऐसे वातावरण का सृजन करना कि लोग अपने हक, अधिकार, कर्तव्य को जानकर स्वयमेव आगे आकर विकास की धारा से जुड़ सकें।

आदर्श :- पारदर्शिता, जवाबदेही, आचरण की शुद्धता, समय पालन।

लक्ष्य समूह :- महिलायें, बच्चे एवं किसान।

मुद्दे :- महिला सशक्तिकरण, आजीविका एवं बाल संरक्षण।

कार्यनीति :- संगठन निर्माण, नेतृत्व विकास, शोध, प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार

भावी दृष्टिकोण:-

- ☞ संस्था की पहचान समुदाय को सशक्त बनाने वाले संगठन के रूप में होगा।
- ☞ संस्था की पहचान पंचायती राज/अभिशासन के प्रबल समर्थक के रूप में होगा।
- ☞ लोगों का ऐसा प्रबल नेटवर्क विकसित होगा जो लोक-केन्द्रित स्थाई विकास को स्थापित करने में सहायक होगा।
- ☞ लोक-केन्द्रित मुद्दों पर प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।

मुख्य उद्देश्य :-

- लोगों का संगठनात्मक विकास कर उन्हें उनके हक अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक करना।
- नगरीय एवं ग्रामीण निकाय को अभिशासन के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना।
- ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के वंचित लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक एवं जवाबदेह बनाना।
- अन्य विकासीय मुद्दों जैसे महिला एवं बाल अधिकार, कृषि, आपदा प्रबन्धन, प्राथमिक शिक्षा तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर सामाजिक न्याय दिलाना।

वर्तमान प्रयास :-

- ◆ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
- ◆ स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम
- ◆ एच0आई0वी0/एड्स रोकथाम कार्यक्रम
- ◆ बाल संरक्षण कार्यक्रम
- ◆ किशोरी एवं किशोरों के माध्यम से जीवन कौशल विकास



प्रगति-विवरण

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत संस्थान द्वारा संस्था द्वारा सामाजिक बदलाव की दिशा में जो प्रयास किया गया, उसका विवरण निम्नवत् है:-

1. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
2. स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम
3. एचआईवी/एड्स रोकथाम कार्यक्रम
4. बाल संरक्षण कार्यक्रम
5. किशोरी एवं किशोरों के माध्यम से जीवन कौशल विकास
6. संस्थागत विकास व अन्य कार्यक्रम

1. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम:- संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयास संस्थान की प्रत्येक परियोजना में किया जाता है। प्रत्येक परियोजना में नारी-संघ का गठन, उनका बैठक तथा महिलाओं का नेतृत्व विकास कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सुनिश्चित कराना होता है। वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को लेकर जो प्रयास किये गये थे उसका परिणाम इस प्रकार रहा है:-

क्र०	विकास खण्ड	कार्यक्रम का नाम	ग्राम पंचायत/नारी-संघ की संख्या	संलग्न महिलाओं की सं०
1	स्दर	फसल परियोजना	17	2665
2	मिठौरा	सुपोषण व किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम	11	
3	नौतनवा	किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम	22	
4	लक्ष्मीपुर	किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम	22	
5	बृजमनगंज	किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम	22	

- 1.1 **अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन:-** महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2020 को किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न नारी-संघ से कुल 56 प्रतिभागियों के साथ किया गया। कार्यशाला का मुख्य थीम- " कृषि में महिलाओं की भागीदारी व हकदारी" रही।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती उमा उपाध्याय जी उपस्थित रहीं। महिलाओं का कृषि में योगदान विषय पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं बीज उपचार से लेकर रोपाई, निराई, कटाई, मड़ाई व भण्डारण सभी बिन्दुओं पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं, परन्तु किसान के रूप में मायता सिर्फ पुरुषों को ही मिलता है।

इस कार्यक्रम में सर्वोदय सेवा संस्थान के श्री आनन्द मोहन लाल, जागृति सेवा संस्थान श्री संजय लाल व सृष्टि सेवा संस्थान से श्रीमती विजया पाठक, पूजा पासवान, मृणालिनी तिवारी सहित संस्थान के सचिव श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने सहभाग किया।

- 1.2 **महिला दिवस का आयोजन:-** यह कार्यक्रम संस्थान के कार्यक्षेत्र नौतनवा के स्वामी विवेकानन्द इंटरमीडिएट कालेज में किया गया। इस कार्यक्रम में नौतनवा विकास खण्ड के 76 किशोरियों ने सहभाग किया। कार्यशाला का मुख्य थीम " बाल विवाह उन्मूलन में महिलाओं की भूमिका " रहा। इस कार्यक्रम में संदर्भ व्यक्ति के रूप में सुश्री सरस्वती यादव व तनिष्का गौतम ने अपना योगदान किया।



कार्यक्रम में मुख्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपना वक्तव्य देते हुए तनिष्का गौतम ने बताया कि जनपद-महाराजगंज में बाल विवाह के केस अत्यधिक देखने को मिलते हैं। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होता है या लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होता है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यदि लड़की की शादी कम उम्र में होती है तो हम अनजाने तौर पर विभिन्न तरह का महिला हिंसा करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण को रोकने की दिशा में अशोभनीय कृत्य है।

इस कार्यक्रम में आसमीन, रामेश्वर, प्रदीप, सुनील प्रजापति आदि कार्यकर्ताओं के साथ किशोर व किशोरियों ने सहभाग किया।

2. स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम:- संस्थान द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास के अन्तर्गत महिलाओं को केन्द्र में रखकर महिला किसानों के माध्यम से स्थाई कृषि एवं आजीविका कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं का संचालन किया गया:-

2.1 फसल परियोजना:- यह परियोजना सदर विकास खण्ड के 17 ग्राम पंचायतों में संचालित किया गया। इसके अन्तर्गत कम जोत के महिला किसानों का किसान संघ बनाकर उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की कृषि आधारित आयवर्धक गतिविधियों का संचालन किया गया। साथ ही साथ इस गतिविधियों को करते समय इस बात का ध्यान भी रखा गया कि जो भी कृषिगत अभ्यास किया जाय उसमें जल संरक्षण की गतिविधियाँ भी सम्मिलित हों। इसके अन्तर्गत संचालित मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार रहीं:-

क्र०	गतिविधि	हस्तक्षेप	प्राप्त परिणाम
1.	मचान	84	- संलग्न परिवारों में कम से कम 40000 रुपये का वार्षिक आय में वृद्धि हो सकी। - यह गतिविधि वन झाप मोर क्राप पर आधारित रही इसलिए इस गतिविधि ने जल संरक्षण में भी आनी भूमिका निभाई।
2.	प्याज(आन बेड)	63 एकड़	प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित हो सकी।
3.	मेन्था (हाइड्रो जेल के साथ)	128 एकड़	40 प्रतिशत पानी की बचत सम्भव हो सकी। - प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित हो सकी।
4.	श्री विधि से धान	40 एकड़	40 प्रतिशत पानी की बचत सम्भव हो सकी। - प्रति एकड़ 30 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकी।
5.	श्री विधि से गेहूँ	24 एकड़	30 प्रतिशत पानी की बचत सम्भव हो सकी। - प्रति एकड़ 20-25 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकी।
6.	गेहूँ की खेती(जीरो टिलेज विधि से)	125 एकड़	30 प्रतिशत पानी की बचत सम्भव हो सकी। - प्रति एकड़ 20-25 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकी।
7.	अरहर की तकनीकी खेती(अरहर का सघनीकरण)	41 एकड़	- प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित हो सकी। - परम्परागत से प्रति एकड़ 100 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकी।
8.	कीचन गार्डनिंग	1023 परिवार	कुल 1023 परिवारों में पोषण युक्त सब्जी प्राप्त हो सका जो खसतौर से महिलाओं एवं



			बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास में सहायक रहा।
--	--	--	--

2.2. सुपोषण परियोजना :- यह परियोजना विकास खण्ड मिठौरा के 11 ग्राम पंचायतों में 1065 महिला किसान परिवारों के साथ संचालित रहा। इस परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण को लेकर प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला किसानों के माध्यम से जहाँ कृषिगत व गैर कृषिगत अभ्यास के माध्यम से आजीविका संवर्धन का काम कराया गया। साथ ही पोषण को लेकर बच्चों के साथ सरकारी प्रयासों के साथ गठजोड़ कराया गया। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार रहा:-

क्र०	गतिविधि	हस्तक्षेप	प्राप्त परिणाम
1	महिला स्वयं सहायता समूह	56	☞ कुल 1065 परिवारों को संगठित किया गया।
2	कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन	175	☞ आँगनवाड़ी, आशा व समुदाय के साथ मिलकर देखभाल कर सभी बच्चों को सुपोषित किया गया। ☞ 6 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से सुपोषण तक पहुँचाया गया।
3	कीचन गार्डन	300 परिवार	☞ कुल 300 परिवारों में पोषण युक्त सब्जी प्राप्त हो सका जो खसतौर से महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास में सहायक रहा।
4.	मचान	4	☞ संलग्न परिवारों में कम से कम 40000 रुपये का वार्षिक आय में वृद्धि हो सकी। ☞ यह गतिविधि वन झाप मोर क्राप पर आधारित रही इसलिए इस गतिविधि ने जल संरक्षण में भी आनी भूमिका निभाई।
5	उद्यमिता विकास इकाई	3	☞ झाड़ू निर्माण की एक इकाई को 11 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया। ☞ अगरबत्ती निर्माण की एक इकाई को 8 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया। ☞ लहसुन के अचार के निर्माण की एक इकाई को 13 महिलाओं के साथ प्रारम्भ किया गया।

3-एच0आई0वी0/एड्स रोकथाम कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम संस्थान द्वारा एच0आई0वी0/एड्स रोकथाम को लेकर संचालित है, जो उ0प्र0 एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ द्वारा प्रायोजित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा एच0आई0वी0 को फलाने में सहायक अति जोखिम पूर्ण समूह यथा महिला यौन कर्मी, पुरुष यौन कर्मी, प्रवासी श्रमिक व उनके जोड़े, ट्रक ड्राइवर व उनके साथी आदि के साथ परामर्श सेवाएं, जाँच व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया गया। विवरण इस प्रकार है:-

3.1. लक्षित हस्तक्षेप परियोजना:- यह परियोजना जनपद-महाराजगंज व गोरखपुर में संचालित है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 250 महिला यौन कर्मी तथा 150 पुरुष यौन कर्मी का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य



के सापेक्ष 339 महिला यौन कर्मी तथा 173 पुरुष यौन कर्मी के साथ हस्तक्षेप किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ संचालित की गई:-

- ❖ अति जोखिम पूर्ण समूह का चिन्हांकन
 - ❖ परामर्श सेवाएं
 - ❖ प्रत्येक 3 माह पर आर0एम0सी0 व प्रत्येक 6 माह पर एच0आई0वी0 की जाँच सुनिश्चित कराना
 - ❖ समुदाय आधारित स्क्रीनिंग
 - ❖ कण्डोम एवं ल्यूब्स वितरण
 - ❖ कम्यूनिटी इवेण्ट
 - ❖ स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से संक्रमण जाँच
 - ❖ वन टू वन एवं समूह के साथ सम्पर्क
 - ❖ ड्राप इन सेनटर की सेवा
- उपरोक्त गतिविधियों के माध्यम से निम्न परिणाम सामने आये:-
- ❖ 5 एच0आई0वी0 पाजीटिव महिला यौन कर्मी में खोजे गये
 - ❖ 12 एच0आई0वी0 पाजीटिव पुरुष यौन कर्मी में खोजे गये
 - ❖ समी 17 एच0आई0वी0 पाजीटिव को ए0आर0टी0 लिंक कराया गया
 - ❖ संक्रमण की जाँच व पहचान हो सकी
 - ❖ अति जोखिम पूर्ण समूह के लोगों में संक्रमण से बचाव से सम्बन्धित आचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन

3.2 लिंक वर्कर परियोजना:- संस्थान द्वारा एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम को लेकर इस परियोजना का संचालन जनपद कुशीनगर में किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत जो प्रयास किये गये उसका विवरण इस प्रकार है:-

क-अति जोखिम पूर्ण समूह को सूचीबद्ध करना- कुल 9365 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है, इसका विवरण निम्नवत् है:-

HRG- इसके अन्तर्गत महिला यौन कर्मी, IDUs, MSM तथा TG को मिलाकर कुल 42 चिन्हांकन किया गया।

प्रवासी- कुल 5154 प्रवासी परिवारों का चिन्हांकन किया गया।

PLHIV- 33 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित जो एच0आई0वी0 पाजिटिव को चिन्हांकित किया गया।

ANC- 1642 गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उनका फालो-अप किया गया।

TB मरीज- 112 मरीजों का चिन्हांकन कर उनका फालो-अप किया गया।

अन्य वर्ग- 2382 ऐसे परिवार का चिन्हांकन किया गया है, जो उक्त जोखिमपूर्ण समूह के परिवार या साथी हैं।

ख-समुदाय के साथ जगरुकता बैठकों का आयोजन:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 26 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 402 लोगों ने सहभागिता किया।

ग-गृह भ्रमण:- परियोजना के अन्तर्गत कुल 7223 परिवारों के साथ गृह भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

घ- वी एच एन डी में सहभागिता:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 685 वी0एच0एन0डी0 कार्यक्रमों में सहभागिता करके एच0आई0वी0 की जाँच सुनिश्चित कराई गई।

च- पी0एल0एच0आई0वी0 की देख रेख- 33 एच0आई0वी0 पाजिटिव की देख रेख कर ए0आर0टी0 से लिंक कराकर सेवा प्रदान करने का काम किया गया।

छ- सी0बी0एस0 के माध्यम से एच0आई0वी0 की जाँच- सी0 बी0 एस0 जाँच के माध्यम से कुल 1849 एच0आई0वी0 जाँच कराया गया।



ज- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन- कुल 09 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 698 लोगों को लाभान्वित कराया गया।

4. बाल संरक्षण कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा 0-18 आयु वर्ग के बच्चों के साथ बाल संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम के तहत चाईलड लाईन सब सेक्टर के रूप में नौतनवा, बृजमनगंज, धानी तथा लक्ष्मीपुर विकास खण्ड में हस्तक्षेप 1098 के माध्यम से किया गया। लोगों को चाईलड हेल्प लाईन 1098 के विषय में जागरूकता प्रदान किया गया तथा साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चाईलड फ्रैण्डली वातावरण का सृजन किया गया। वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत चाईलड लाईन के माध्यम से निम्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया गया, विवरण इस प्रकार है:-

क-ओपेन हाउस कार्यक्रम:- इस गतिविधि के अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक स्थलों पर जाकर चाईलड हेल्प लाईन-1098 के विषय में जानकारी प्रदान किया गया, साथ ही साथ 1098 का टेस्टिंग काल भी कराया गया। इस गतिविधि के अन्तर्गत पूरे वर्ष में कुल 28 कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ख- सरकारी हितभागियों के साथ विकासखण्ड स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला:- यह कार्यक्रम बृजमनगंज विकास खण्ड में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित किया गया। कार्यशाला में खण्ड विकास अधिकारी, MOIC, BCPM, MOIC, CDPO, ADO पंचायत आदि उपस्थित रहे। कार्यशाला में मुख्य रूप से चाईलड हेल्प लाईन 1098 के कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान किया गया। विवरण इस प्रकार है:-

क्र०	विकास खण्ड	थुनांक	स्थान	प्रतिभागी
1.	बृजमनगंज	15.05.2019	विकास खण्ड सभागार	26
2.	बृजमनगंज	23.01.2020	विकास खण्ड सभागार	21
	योग			47

ग-स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयन बैठक:- यह बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित किया गया। पूरे वर्ष में 3 बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में BPM, BCPM, MOIC, HEO आदि शामिल रहे। बैठक का उद्देश्य 1098 के विषय में लोगों को जानकारी देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक बच्चों की पहुँच सुनिश्चित कराना रहा।

घ-बालिका सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान:- यह अभियान जनपद स्तरीय महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर किया गया। अभियान का उद्देश्य किशोरियों, बच्चों, अग्रणीय सरकारी कार्यकर्ता, पीओआरआईओ, स्वास्थ्य विभाग व अन्य हितभागियों तक बालिका सुरक्षा की बात को पहुँचाना तथा साथ ही साथ चाईलड हेल्प लाईन 1098 व महिला हेल्प लाईन 181 की सेवाओं से अवगत कराते हुए अभियान को सफल बनाना था। इस अभियान के अन्तर्गत कुल 09 कार्यक्रम आयोजित किये गये।

च-जागरूकता हेतु बीओसीओसीओ:- इस गतिविधि के अन्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु चाईलड हेल्प लाईन की सेवा 1098 के बारे में जागरूक करने हेतु पम्पलेट्स का वितरण किया गया। साथ ही साथ 04 ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन का कार्य किया साथ ही साथ कोमल मूवी को बच्चों को दिखाकर भी बच्चों, अभिभावकों व अन्य हितभागियों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया।

छ-समन्वयन व नेटवर्किंग:- श्रम दिवस 01 मई के अवसर पर 1098 के प्रचार-प्रसार तथा बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास को लेकर स्कूल के बच्चों के साथ रैली आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया।



ज-विकास खण्ड स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला:- यह कार्यक्रम रतनपुर विकास खण्ड के विकास खण्ड सभागार में आयोजित में 9 सितम्बर 2019 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 35 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को चाईलड सब सेन्टर के काय व गतिविधि के विषय में अभिमुखीकरण किया गया।

झ-चाईलड लाईन दोस्ती सप्ताह का आयोजन:- चाईलड लाईन दोस्ती सप्ताह का आयोजन संस्थान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न 7 गतिविधियों का संचालन किया गया:-

- 1-समुदाय, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितभागियों के साथ सुरक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन
- 2-बच्चों के साथ खेल व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन
- 3-बच्चों के साथ पतंग प्रतियोगिता का आयोजन
- 4-हस्ताक्षर अभियान
- 5-विद्यालय के बच्चों के साथ रैली
- 6-समुदाय के साथ चाईलड लाईन सेवा को लेकर बैठक
- 7-सामाजिक सौहार्द को लेकर सहभोज कार्यक्रम

ट-ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ बैठक:- बाल विकास संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर व ग्राम स्तर तक बाल कल्याण समितियों का गठन किया गया है। संस्थान द्वारा बाल कल्याण समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

ठ- बाल विवाह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम:- बाल विवाह को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उ० प्र० सरकार बाल विवाह को लेकर काफी संवेदनशील है। संस्थान द्वारा इस क्रम में 2 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को देर से विवाह करने के लिए प्रेरित किया गया।

5. किशोरी एवं किशोरों के माध्यम से जीवन कौशल विकास:- यह कार्यक्रम ब्रेकथ्रू ट्रस्ट के सहयोग से जनपद-महाराजगंज के विकास खण्ड-नौतनवा, लक्ष्मीपुर, बृजमनगंज व मिठौरा विकास खण्ड के 77 ग्राम पंचायतों 22000 किशोर-किशोरियों को उनके जीवन कौशल तथा मानवाधिकार व जेण्डर को लेकर कार्यक्रम संचालित किया गया। यह कार्यक्रम दो प्रकार की रणनीति पर आधारित रहा-

क-स्कूल आधारित:- इसके अन्तर्गत कुल 04 विकास खण्ड के 105 स्कूलों में कक्षा-7 व 8 के किशोर किशोरियों के साथ निम्न गतिविधियाँ संचालित की गईं-

- ❖ तारों की टोली किताब के माध्यम से किशोर व किशोरियों को प्रशिक्षित करना
- ❖ किशोरी मेला का आयोजन
- ❖ थियेटर दि आप्रेस्ड टीम द्वारा प्रदर्शन
- ❖ अध्यापक को स्वयंसेवक (घुवतारा) के रूप में तैयार कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण की शुरुआत करना

ख- समुदाय आधारित:- समुदाय स्तर पर स्पाटवाइज किशोर-किशोरियों का संघ विकसित कर उनके साथ निम्न लिखित गतिविधियों का संचालन किया गया:-

- ❖ तारों की टोली किताब के माध्यम से किशोर व किशोरियों को प्रशिक्षित करना
- ❖ विडियो वैन का संचालन थियेटर दि आप्रेस्ड टीम के साथ
- ❖ स्थानीय मुद्दों पर हाईपर लोकल कैमपेन
- ❖ महिलाओं का नारी-संघ तथा पुरुषों का किसान संघ का गठन कर बदलाव के प्रेरक के रूप में स्थापित करना।
- ❖ ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस के माध्यम से किशोर व किशोरियों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिलाना

6. संस्थागत विकास व अन्य कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा संस्थागत विकास को लेकर किया गया। संस्थान द्वारा इस गतिविधि के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किये गये:-



क-राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन:- संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया गया इसके अन्तर्गत समस्त चारों कार्यालयों पर 15 अगस्त अर्थात् स्वतंत्रता दिवस व 26 जनवरी अर्थात् गणतंत्र दिवस के अवसर घ्वजारोण व मिष्ठान्न वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही संस्थान के प्रबन्ध तंत्र द्वारा सहभागिता कर संस्थान की उपलब्धियों व समस्याओं को जाना गया तथा संस्थान के जिन को देश हित में प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

ख-कार्यकर्ता क्षमता विकास कार्यक्रम:- संस्थान द्वारा संस्थान कार्यदल के क्षमता विकास को लेकर विभिन्न माध्यमों से क्षमता विकास का कार्य किया गया। इस निमित्त संस्थान के सचिव सुनील कुमार पाण्डेय व कार्यकारी सचिव प्रद्युम्न पाठक ने निःशुल्क रूप से अपना व्यावसायिक समय देकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया।

ग-मानवाधिकार दिवस का आयोजन:- संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानवाधिकार विषय के विभिन्न विशेषज्ञों ने सहभागिता कर लोगों को जानकारी प्रदान करने का कार्य किया गया। प्रतिभागियों को मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषण-पत्र(UDHR)की हिन्दी प्रतियों को वितरित कर लोगों को मानवाधिकार संरक्षण के प्रति सजग रहने की बात कही गई।

घ-परिवार नियोजन सघनीकरण कार्यक्रम:- यह कार्यक्रम ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी के सहयोग से सदर विकास खण्ड के 10 ग्राम पंचायतों में संचालित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की दिशा को मजबूती प्रदान करना रहा। संस्थान द्वारा 10 ग्राम पंचायतों में कुल 21 चैम्पियन को तैयार कर उनके माध्यम से मिशन परिवार विकास को दिशा प्रदान करने हेतु निम्न लिखित प्रयास किया गया-

- ❖ परिवार नियोजन विषय पर पंचायत स्तरीय बैठकों का आयोजन
- ❖ स्थानीय प्रशासन के साथ फालो-अप बैठकों का आयोजन
- ❖ समूह बैठक के माध्यम से प्रमुख हितभागियों का जुड़ाव सुनिश्चित करना
- ❖ सस-बहू सम्मेलन में चैम्पियन को सम्मिलित कराना
- ❖ जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन
- ❖ ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन
- ❖ जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन
- ❖ ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन
- ❖ मीडिया-कार्यशाला के माध्यम से चैम्पियन द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों को मान्यता दिलाना

संस्थान की आगामी रणनीति:- संस्थान अपने विजन की प्राप्ति को लेकर निम्नलिखित प्रयास करेगी:-

- ❖ संस्थान अपने समस्त कार्यक्रम महिलाओं एवं बच्चों को केन्द्र में रखकर ही करेगी।
- ❖ संस्थान द्वारा अपने किये गये कार्यों को एक मॉडल बनाकर कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान करेगी।
- ❖ अपने कार्यों का विस्तार गोरखपुर-मण्डल में करने हेतु प्रयास करेगी।
- ❖ संस्थान को क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किया जायेगा।
- ❖ संस्थान में आजीविका के मुद्दे पर कार्य करने हेतु एक सशक्त मॉडल का विकास किया जायेगा।



प्रबन्धकारिणी समिति वर्ष 2019-20

क्र०	पदाधिकरी / सदस्य	पद
1	बृजभूषण पाण्डेय	अध्यक्ष
2	मोदलता श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष
3	सुनील कुमार पाण्डेय	सचिव
4	प्रद्युम्न पाठक	कार्यकारी सचिव
5	सरोज	कोषाध्यक्ष
6	सुधीर कुमार	सदस्य
7	तपेन्द्र कुमार प्रजापति	सदस्य
8	डा० दयानन्द	सदस्य
9	लक्ष्मी देवी	सदस्य
10	मैरा देवी	सदस्य

सुनील कुमार पाण्डेय

सचिव / मुख्य कार्यकारी

सृष्टि सेवा संस्थान, उ०प्र०, भारत

